दिल्ली विकास प्राधिकरण

7 सितम्बर, 2018 को प्रातः 10.00 बजे राजनिवास, दिल्ली में आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक का कार्यवृत्त। बैठक में निम्नलिखित उपस्थित थैः

<u>अध्यक्ष</u>

श्री अनिल बैजल

उपराज्यपाल, दिल्ली

<u>उपाध्यक्ष</u>

श्री उदय प्रताप सिंह

सदस्य

- श्री के.विनायक राव वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा
- श्री जयेश कुमार
 अभियंता सदस्य, दि.वि.प्रा.
- 3. श्री विजेन्द्र गुप्ता, विधायक एवं दि.रा.रा.सो., विधानसभा में विपक्ष के नेता
- 4. श्री एस.के.बग्गा, विधायक
- 5. श्री ओ.पी.शर्मा, विधायक
- श्री मनीष अग्रवाल
 निगम पार्षद, दक्षिण दिल्ली नगर निगम
- श्री जयेन्द्र कुमार डबास
 निगम पार्षद, उत्तरी दिल्ली नगर निगम

<u>सचिव</u>

श्री डी.सरकार

आयुक्त एवं सचिव, दि.वि.प्रा.

विशेष आमंत्रिती

- श्री अंशू प्रकाश
 मुख्य सचिव, रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
- श्रीमती रेन् शर्मा
 प्रधान सचिव (वित्त), रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
- श्री राजीव यद्वंशी
 प्रधान सचिव (शवि) रा.रा.क्षे., दिल्ली सरकार
- श्री पुनीत गोयल
 आयुक्त, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम
- डॉ. रनबीर सिंह
 आयुक्त, पूर्वी दिल्ली नगर निगम
- श्री मधुप व्यास
 आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम
- श्री राजीव वर्मा प्रधान आयुक्त (समन्वय), दि.वि.प्रा.
- 8. श्री श्रीपाल प्रधान आयुक्त (का., उद्यान एवं भूदृश्यंकन), दि.वि.प्रा.
- 9. श्री के. संजय मुर्थी संयुक्त सचिव, आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

<u>उपराज्यपाल सिचवालय</u>

1. श्री विजय कुमार

उपराज्यपाल के प्रधान सचिव

- श्रीमती चंचल यादव
 उपराज्यपाल के विशेष सचिव
- श्री आर.एन.शर्मा
 उपराज्यपाल के संयुक्त सचिव
- श्री रिव धवन
 उपराज्यपाल के संयुक्त सिचव
- श्री अनूप ठाकुर
 उपराज्यपाल के निजी सचिव
- माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली/अध्यक्ष, दि.वि.प्रा. ने प्राधिकरण की बैठक
 में उपस्थित प्राधिकरण के सभी सदस्यों विशेष आमंत्रितियों एवं विरष्ठ
 अधिकारियों का स्वागत किया।

मद सं. 25/2018

राजनिवास में 19.06.2018 को आयोजित दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

एवं 2(2)2018/एमसी/डीडीए

19.06.2018 को आयोजित प्राधिकरण की बैठक के कार्यवृत्त की यथा परिचालित पृष्टि की गई।

मद सं. 26/2018

11.04.2018 और 19.06.2018 को दिल्ली विकास प्राधिकरण की बैठक में कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट। एफ.2(3)2018/एमसी/डीडीए

11.04.2018 और 19.06.2018 के प्राधिकरण की बैठकों के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई पर संदर्भ में प्राधिकरण के सदस्यों ने निम्नलिखित टिप्पणियाँ की हैं:-

श्री विजेन्द्र गुप्ताः

- i) दि.वि.प्रा. में मुख्य अभियंताओं के पदों के स्थानातन प्रभार को दि.वि.प्रा. अधिकारियों को देने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा भर्ती विनियम के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। यदि अपेक्षित हो तो, इस संबंध में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है।
- अनुकंपा नियुक्ति से संबन्धित मामले को शीघ्रता से किया जाना चाहिए।
- iii) ईदगाह में कसाई खाना के लिए आबंटित पूरी भूमि को उत्तरी दिल्ली नगर निगम को बहू स्तरीय पार्किंग के निर्माण के लिए पुनः आबंटित किया जाना चाहिए।
- iv) यदि दि.वि.प्रा. उत्तरी दिल्ली नगर निगम को पार्कों के लिए घाटा प्रभार का भुगतान करने का निर्णय लेती है तो, राशि को केवल इन पार्कों के विकास कार्य के लिए उपयोग किया जाना चाहिए न कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा वेतन के भुगतान के लिए।
- v) दि.वि.प्रा. को ज़ोनल कार्यालय के निर्माण के योजना बनानी चाहिए और भूमि को कीर्ति नगर में स्थित दि.वि.प्रा. के अस्थायी कार्यालयों के लिए उपयोग कि जानी चाहिए।

श्री ओ.पी.शर्मा

i) कई वर्षों से विश्वास नगर में 60 फूटा मार्गाधिकार सड़क पर झुग्गी क्लस्टरों को हटाना लंबित है। शांति स्वरूप भटनागर मार्ग में मौजूद झुग्गी क्लस्टर पुनर्वास के लिए योग्य नहीं है, चूंकि वे सार्वजनिक सड़क पर अतिक्रमित हैं और उसे तुरंत हटाया जाना चाहिए।

श्री एस के बग्गाः

- गीता कॉलोनी में चाचा नेहरु अस्पताल के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा आबंटित भूमि पर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस द्वारा अनाधिकृत कब्जा को हटाया जाना चाहिए। ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अंतर्गत उपलब्ध होंगे।
- ii) हौज खास की खसरा सं. 277 में भूमि का सीमांकन कार्य अभी तक पूरा नहीं किया गया है।
- iii) गौतम नगर के निवासियों के लिए सामुदायिक सेवाओं के लिए किसी वैकल्पिक भूमि के आबंटन पर विचार।

मद सं. 27/2018

दि.मु.यो.-2021 के अध्याय-19 (भूमि नीति) में संशोधन। एफ.3(53) /2003-एमपी/वोल्यूम-॥/पार्ट-॥

प्रस्ताव आयुक्त (योजना) द्वारा स्पष्ट किया गया। यह सूचित किया गया कि पूल की गई भूमि का प्रति 1000 हेक्टेयर लगभग 55,000 निवासी इकाई में लगभग 3,85,000 व्यकित समायोजित होंगे। लगभग 17 लाख निवासी इकाई लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंतर्गत निर्मित किए जाएंगे जिनमें से लगभग 5 लाख ई.डब्ल्यू.एस. श्रेणी के अतंर्गत उपलब्ध होंगे। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, निम्नलिखित निर्णय लिए गएः-

- i) खंड 19.3(xi) में शब्दावली "अथवा वास्तविक लागत जो भी कम हो" जोड़ा जाए।
- ii) विनियमों में एक नए खंड के रूप में नीति/विनियमों में स्टैम्प ड्यूटी लगाने की व्यवस्था भी की जाए।
- iii) सेक्टर में आने वाले एकाकी भूमि पार्सल पर भी निकास का विचार किया जाए जो योजना अपेक्षाओं के पूरा होने के निषयाधीन है। अतः संशोधित/ नए खंडों को निम्नलिखित पढ़ा जाए:-

<u>खंड 19.3 (xi)</u>

नवीनतम सीपीडब्ल्यूडी सूचकांक (प्लस ई.डब्ल्यू.एस. पार्किंग लागत द्वारा वास्तविक सौपने के समय अथवा वास्तविक लागत जो भी कम हो, निर्धारित एक आधार लागत पर दि.वि.प्रा. के लिए ई.डब्ल्यू.एस. आवास स्टॉक का 50% बिक्री डी/कन्सोर्टियम एक पृथक स्टॉक के रूप में ऐसा 50% हाउसिंग स्टॉक का विकास करेगा और इस पृथक हाउसिंग पॉकेट के लिए सभी आवश्यक पार्किंग, व्यावसायिक और पीएसपी स्विधाएं प्रदान करेगा।

<u>खंड 19.1 (iii)</u>

i) लैंड पॉलिसी और विनियम के अनुसार एक सेक्टर में भूमि के एकीकृत योजना, सर्विसिंग और उपखंड/खंड को सुनिश्चित करने के लिए, सेक्टर के अंदर विकास योग्य क्षेत्र केंद्र न्यूनतम बाधाओं मुक्त 70% समीपवर्ती भूमि विकास के लिए योग्य बनाने हेतु पूल किया जाना अपेक्षित है। जब सेक्टर में ऐसा हो जाए, तो दि.वि.प्रा. सभी संघटक भू- स्वामियों को विनियमों में यथा-परिभाषित कंसोर्टियम बनाने के लिए सेक्टर में समीपवर्ती भूमि का भाग बनाने के लिए सूचित करेगा। एक सेक्टर में आने वाले 2 हेक्टेयर और उससे ऊपर एकाकी भूमि पार्सलों, जो 70%

निकटवर्ती भूमि का भाग नहीं है, ले-आउट प्लान के व्यावहार्यता पर आधारित कंसोर्टियम का भाग बनाने के लिए भी पात्र होंगे।

खंड 19.3 (ii)

ii) खंड 19.1 (iii) के अनुसार सभी संघटक भू-स्वामियों के अनुसोदन के साथ कार्यान्वयन योजना का विकास और उसे पूरा करना कंसोर्टियम की ज़िम्मेदारी होगी।

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव उपर्युक्त संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया। प्रस्ताव अन्तिम अधिसूचना जारी करने के लिए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को तुरन्त भेजा जाएगा।

मद सं. 28/2018

लैंड पॉलिसी के प्रचालन के लिए अनुमोदित विनियमों में संशोधन। एफ.15(6) /2012-एमपी/पार्ट.-॥

प्रस्ताव आयुक्त (योजना) द्वारा स्पष्ट किया गया। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया कि

- क) खंड-॥ अन्य विकास नियंत्रण, पैरा (ii) में 'नए विकास..... में सभी ऊर्जा उपभोग का 10%' से पूर्व शब्द न्यूनतम जोड़ा जाए।
- ख) स्टैम्प ड्यूटी के संबंध में नया खंड विनियम में शामिल किया जाए।
- ग) सेक्टर में आने वाले एकाकी भूमि पार्सलों के लिए खंड पर भी विचार किया जाए।
- घ) शिकायत निवारण के लिए समय अवधि का उल्लेख किया जाए और निदेशक, एन.आई.यू.ए. को शिकायत निवारण समिति का भाग बनाया जाए। अतः, संशोधित/नए खंड नीचे दिए गए हैः

<u>खंड ॥ (ii)</u>

i) लैंड पॉलिसी के अंतर्गत नए विकास को मुख्य योजना और भवन उपविधि में यथा निर्धारित अनिवार्य हरित भवन मानदंड के साथ अनुपालन होगा। इसके अतिरिक्त, नए विकासों में सभी ऊर्जा उपभोग की न्यूनतम 10% आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के समार्ट सिटीज मिशन के अंतर्गत ग्रीन-फील्ड विकासों के लिए निर्धारित अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्त्रोतों अथवा सोलर फिटिंग के माध्यम से किए जाएंगे।

<u>खंड 15:</u>

भूमि/संपित के स्थानांतरण के लिए स्टैम्प ड्यूटी विद्यमान विधि के अनुसार लगाई जाएगी। तथापि, भू-स्वामियों के द्वारा प्रदात्ता एजेंसी/दि.वि.प्रा. के लिए सेवा के लिए भूमि के स्थानांतरण पर कोई स्टैम्प ड्यूटी लागू नहीं होगी।

<u>खंड 12 (।)</u>

- क.प्रथम स्तर शिकायत निवारण समिति जिसकी अध्यक्ष प्रधान आयुक्त (लैंड पूलिंग) जिसमें मुख्य अभियंता (मुख्यालय), अपर मुख्य विधि सलाहकार, निदेशक (भूमि लागत), निदेशक (भवन), निदेशक (योजना), लैंड पूलिंग, निदेशक (लैंड पूलिंग), निदेशक (एन.आई.यू.ए.) अथवा इसके नामिती और संबंधित सेवा प्रदाता एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल है। सिमिति शिकायत प्राप्त करने के 30 दिनों के अंदर निवारण करेगी।
- ख. यदि कोई भू-स्वामी/दी ई/कंसोर्टियम प्रथम स्तर शिकायत निवारण सिमिति के निर्णय से असंतुष्ट है तो इसे द्वितीय शिकायत निवारण सिमिति के समक्ष 30 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जा सकता है। इस सिमिति की अध्यक्षता उपाध्यक्ष, दि.वि.प्रा. करेंगे जिसमें वित्त सदस्य, अभियंता सदस्य, आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा. के मुख्य विधि सलाहकार और सेवा प्रदाता एजेंसियों के संबंधित प्रतिनिधि शामिल होंगे। यदि शिकायतों के निवारण के लिए अपेक्षित हो तो सिमिति अन्य सदस्यों को

भी सह-विकल्प रख सकती है समिति शिकायत प्राप्त करने के 45 दिनों के अंदर आम निवारण करेगी।

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव उपर्युक्त संशोधन के साथ अनुमोदित किया गया। प्रस्ताव तुरन्त आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय को अनुमोदन के लिए भेजा जाए।

मद सं. 29/2018

स्वस्थाने उन्नयन/पुनर्वास परियोजनाओं में अनुमेय व्यावसायिक क्रियाकलापों के संबंध में दि.मु.यो. 2021 में प्रस्तावित संशोधन एफ.3(36)/96/एमपी/पार्ट.-।

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। आपत्तियाँ/सुझाव आमंत्रण जन-सूचना तुरन्त जारी किया जाए।

मद सं. 30/2018

होटलों में अनुमेय क्रियाकलापों के संबंध में दिल्ली मुख्य योजना-2021 में प्रस्तावित संशोधन।

एफ.20(13) /2013/एमपी

प्रस्ताव आयुक्त (योजना) द्वारा स्पष्ट किया गया।

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को पब्लिक डोमेन में प्रस्तुत करने के लिए अनुमोदित किया गया। आपित्तयाँ/ सुझाव आमंत्रण जन सूचना को तुरन्त जारी किया जाए।

मद सं. 31/2018

दिल्ली में गाँधी मैदान, चारदीवारी क्षेत्र में बहुस्तरीय पार्किंग साइट के लिए ऊंचाई एवं सैटबैक में छूट का प्रस्ताव एफ.20(3)2016-एमपी

प्रस्ताव आयुक्त (योजना), दि.वि.प्रा. द्वारा प्रस्तुत किया गया। मुख्य अभियंता उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने प्राधिकरण को स्पष्ट किया कि माननीय उच्च न्यायालय ने दिनांक 30.08.2018 के अपने आदेश के द्वारा दि.वि.प्रा. को गांधी मैदान पार्किंग सुविधा कि ऊंचाई छूट मामले पर विचार करने के लिए प्राधिकरण कि एक बैठक 15 सितंबर 2018 से पहले आयोजित करने और अपना निर्णय उत्तरी दिल्ली नगर निगम को 20 सितंबर 2018 तक भेजने का निदेश दिया है। विस्तृत विचार विमर्श के बाद प्राधिकरण ने एजेंडा में शामिल प्रस्ताव को इस शर्त पर अनुमोदित किया कि उत्तरी दिल्ली नगर निगम निविदा दस्तावेजों कि जांच करेगी और सुनिश्चित करेगी कि ठेकेदार को कोई भी अनुचित वित्तीय लाभ न दिया जाए क्योंकि दिविप्रा को ऊंचाई में परिवर्तन के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव निविदा प्रक्रिया सम्पूर्ण होने के बाद है।

मद संख्या. 32/2018

योजना ज़ोन-डी में आने वाले सफ़दरजंग रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली के सामने अफ्रीका एवेन्यू रोड के पूर्वी और पश्चिम ओर स्थित उत्तरी रेलवे के तीन प्लॉटों (23911.24 वर्गमीटर, 24400 वर्गमीटर और 23687 वर्गमीटर) के भूमि उपयोग का 'परिवहन' (रेलवे परिचालन संबंधी) से 'आवासीय' में प्रस्तावित परिवर्तन।

एफ.20 (6) 2017 / एमपी

एजेंडा मद में शामिल प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। प्राधिकरण द्वारा यथा अनुमोदित शर्तों को पूरा करने के बाद प्लॉट एक्स और जेड के लिए अपित्तयाँ/सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

प्लॉट 'वाई' के लिए, मामला अवसान एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को प्रधानमंत्री कार्यालय को अनुमोदन लेने हेतु भेजा जाए क्योंकि साइट लुटियन्स बंगला ज़ोन (एल बी ज़ेड) के अंदर आती है। अनुमोदन प्राप्त करने के बाद आपित्तियाँ/सुझावों को आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की जाए।

योजना ज़ोन-डी में सर्वोच्च न्यायालय अभिलेखागार और एडवोकेट के लिए चैंबर्स स्थापित करने के लिए 1.336 एकड़ (5406 वर्ग मीटर) क्षेत्र के भूमि उपयोग का 'परिवहन' (बस डिपो) टी2 से 'सरकारी' (सरकारी कार्यालय) सी2 में परिवर्तन।

एफ.20 (6) 2018 / एमपी

प्राधिकरण को अध्यक्ष, दिविप्रा के अनुमोदन के साथ सार्वजनिक सूचना जारी करने के बारे में अवगत कराया गया। एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

मद संख्या. 34/2018

चुल्हा कर अदाता गांवों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करने/नियमितीकरण के लिए वाल्मीकि श्रेणी के संबंध में भुगतान की शर्तों में छूट।

एफ.टीएन.2 (10)2014

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। स्वीकृति के लिए यह मामला तुरंत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को अनुमोदन हेतु भेजा जाए।

मद संख्या.35/2018

नरेला, सिरसपुर और रोहिणी में लगभग 7876 रद्द / सरेंडर किए गए एलआईजी / एक बेड रूम फ्लैट प्रतीक्षज्ञ सूची वाले व्यक्तियों और केंद्रीय / राज्य सरकार के विभागों, स्थानीय निकायों (अर्थात नगर निगम, काउंसिल आदि) और केंद्र / राज्य सरकार के क्षेत्र के, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं गैर-सरकारी अधिक मात्रा वाले खरीदारों का निपटान।

एफ.1(15)/2017/कोर्डिनेशन(एच)/डीडीए

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

मद संख्या.36/2018

फ्लैटों, निर्मित दुकानों और प्लॉटों के आबंटन के संबंध में दिविप्रा में लागू विभिन्न ब्याज दरों का सरलीकरण और युक्तिकरण। एफ.21(मिस)/9/इंटल(एचएसी)/2001/2014

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

मद संख्या.37/2018

- (i) वर्ष 2017-18 के लिए वाणिज्यिक और औद्योगिक संपत्तियों के संबंध में लीजहोल्ड से फ्री होल्ड करने के लिए परिवर्तन प्रभारों की गणना के उद्देश्य से दरों का निर्धारण।
- (ii) वर्ष 2017-18 के लिए बहु-स्तरीय पार्किंग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के संबंध में लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन प्रभार की गणना के उद्देश्य से भूमि दरों का निर्धारण।

एफ.2 (34) 99 / ए ओ (पी) / डीडीए / पार्ट.

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

मद संख्या.38/2018

दिविप्रा के बजट के वॉल्यूम -। में अनुमानित वर्ष 2016-17 में आवासों और दुकानों के निर्माण से संबंधित वास्तविक व्यय के आंकड़ों में सुधार। एफ.4 (3) बजट / 2017-18

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। तदनुसार शुद्धिपत्र जारी किया जाए।

<u>मद संख्या.39/2018</u>

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में होटल और रेस्तरां में माइक्रोब्रेरीज़ लगाने के लिए दिल्ली मुख्य योजना-2021 में प्रस्तावित संशोधन। एफ.3 (29) 2009 / एमपी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आपत्तियों / सुझावों को आमंत्रित करने वाली सार्वजनिक सूचना तुरंत जारी की जाए।

मद संख्या.40/2018

शांति पथ से चरक पालिका अस्पताल, मोती बाग तक के लिंक रोड पर स्थित 2867.39 वर्ग मीटर (0.708 एकड़) के प्लॉट के संबंध में दिमुयों-2021 के उपखंड 8 (2) के अंतर्गत आवासीय उपयोग ज़ोन में 'व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र' की अनुमति।

एफ.20 (5) 17 / एमपी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। ले आउट प्लान में संशोधन के लिए इस मामले को त्रंत नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को भेजा जाए।

<u>मद संख्या.41/2018</u>

सीआरपीएफ के लिए बीसीएस अंधेरिया मोड़, नई दिल्ली में 8.83 एकड़ (3.57 हेक्टेयर) माप के स्थल के भूमि-उपयोग का "आवासीय" से "सार्वजनिक और अर्ध सार्वजनिक सुविधाओं" (पी एस पी) में परिवर्तन।

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आपत्तियों / सुझावों को आमंत्रित करने वाली सार्वजनिक सूचना तुरंत जारी की जाए।

<u>मद संख्या.42/2018</u>

दिमुयों-2021 में "सरकारी भूमि-उपयोग अंडरमाइंड" श्रेणी के भूमि उपयोग के लिए प्रावधान के संबंध में।

एफ.20 (1) 2016 / एमपी

एजेंडा मद में निहित प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सार्वजनिक सूचना आमंत्रित करने के लिए आपत्तियाँ / सुझावों को तुरंत जारी किया जाए।

मद संख्या.43/2018

दि.वि.प्रा. स्टाफ क्वार्टरों में अधिक समय तक रहने के लिए क्षतिपूर्ति लाइसेंस शुल्क की वसूली-उसकी समीक्षा

एफ.1(27)/2021/एसक्यू/डीडीए

एजेण्डा पर निर्णय को आस्थगित किया गया।

मद संख्या.44/2018

विविध भर्ती विनियमों में डीओपीटी खंड संख्या 3.1.3 का समावेश।

एफ.1(मिस.)/2018/पीबी-iv

एजेण्डा में निहित प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया। मामले को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पास अनुमोदन हेतु तत्काल प्रेषित किया जाए।

मद संख्या.45/2018

'पार्कों को गोद लेना' योजना, जैसा कि दिसम्बर 2014 में अनुमोदित हुआ था, में संशोधन

एफ.पीए/एसी(एलएस)/2014/डीडीए/187

मामले में विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात्, ऐसा निण्रय लिया गया कि सभी गोद लिए गए पार्कों का सर्वेक्षण करार की निबंधन एवं शर्तों की अनुपालन की जांच करने के लिए समयबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। करार की निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन पर आबंटिती के साथ-साथ दि.वि.प्रा. के पर्यवेक्षक स्टाफ दोनों के लिए उपयुक्त दण्ड प्रावधानों का समावेशन किया जाना चाहिए।

<u>मद संख्या.46/2018</u>

जोन-3ी में आने वाले क्षेत्र डी.टी.सी. बस डिपों, आई.पी.इस्टेट., नई दिल्ली, के पास एस डी एम सी (मुख्यालय) भवन के निर्माण के लिए 5.00 एकड़ क्षेत्र के भूमि उपयोग को 'मनोरंजनात्मक (जला पार्क)' से 'सरकारी जी-2) में परिवर्तन के संबंध में एस डी एम सी का प्रस्ताव एजेण्डा में निहित प्रसताव को अनुमोदित किया गया। आपत्तियों/सुझावों के आमंत्रण के लिए सार्वजनिक सूचना तत्काल जारी की जाए।

प्राधिकरण के सदस्यों द्वारा उठाए गए अन्य बिंदु

श्री विजेंदर गुप्ता:

- i) धर्मार्थ संसथाओं को रियायती दर पर भूमि आबंटित करने वाले पूर्ववत् श्रेणी को फिर से बहाल करना।
- ii) शैक्षिक संस्थानों को आबंदित किए गए प्लॉटों पर एक से ज्यादा शैक्षणिक गतिविधियों को चलाने की अनुमित दि.वि.प्रा. को दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधन समिति पर लगाए गए भारी प्रभारों/दण्ड पर पुनर्विचार करना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी सांविधिक निकाय है, जो कि न लाभ न हानि के आधार पर संस्थाएँ चला रही है। इसे युक्ति संगत बनाया जाना चाहिए। और प्राधिकरण के समक्ष उपयुक्त निर्णय के लिए अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाए।
- iii) जैसा कि पूर्व में अनुरोध किया था, झुले/फूडस्टाल इत्यादि रामलीलाओं के लिए अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र आबंटित किये जाएं।
- iv) अनिधकृत निर्माण हटा दिए जाने के बाद स्कूलों को किए जाने वाले भूमि के आबंटन को नियमितीकरण के लिए नीति बनाई जाए।

- v) पेपर मार्केंट में आबंटित किए गए प्लॉटों के दुरूपयोग होने पर एक बारे की छूट प्रदान की जाए।
- vi) सहायक लेखा अधिकारियों के व्यावसायिक अर्हताओं के साथ प्रवेशन की दृष्टि से यह वांछनीय है कि पदोन्नति के अवसर प्रदान करने के लिए निदेशक (वित्त) के एक पद का आयुक्त के स्तर तक अपग्रेड किया जाए।
- vii) प्राधिकरण द्वारा बदरपुर ट्रेडर्स यूनियन को 1977 में भूमि आबंटित करने का निर्णय लिया गया था, जिसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। प्राधिकरण के समक्ष अगली बैठक में इस मामले पर उचित कार्रवाई के लिए मामले में एक एजेण्डा किया जाना चाहिए।

श्री ओ.पी. शर्मा:

- i) ओखला में नदी तट पर बहुमंजिला अनिधकृत निर्माण की जाँच की जाए।
- ii) सुझाव दिया गया कि दि.वि.प्रा. को आर.डब्ल्यू.ए से दस्तावेज प्राप्त करने चाहिए जो सैनी एन्क्लेव, चित्रा विहार, राजधानी एन्क्लेव एवं कड़कड़डूमा में अनिधकृत अतिक्रमण को हटाने में सहायक होंगे।
- iii) जाँच की जानी चाहिए कि गेटवे क्लब, प्रीत विहार को भूमि आबंटन के बाद, दि.वि.प्रा. ने एक पूरक अनुबंध के माध्यम से आबंटन/संशोधन किया, जो गतिविधियों को मूलरूप से अनुमति नहीं देता है।
- iv) दि.वि.प्रा. को भूमि के आबंटन के लिए निष्पादित विभिन्न प्रकार के पट्टों की एक सूची संकलित करनी चाहिए और समाप्त पट्टों के नियमितीकरण हेतु या फिर इस प्रकार की भूमि वापस लेने के लिए एक नीति तैयार करनी चाहिए।
- v) बदरपुर में बदरपुर ट्रेडर्स यूनियन को भूमि के आबंटन के संबंध में की जाँच की जाए और इसे अपनी अगली बैठक में प्राधिकरण के समक्ष रखा जाए।

श्री एस.के.बग्गा

- i) सामुदायिक केंद्र ऐसी भूमि पर विकसित किए जाने चाहिए जो नर्सरी स्कूलों के लिए आवश्यक नहीं है।
- ii) पार्कों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के बाद विकसित किया जाए।

श्री मनीष अग्रवाल:

- i) सी-ब्लॉक, वसंत विहार में निर्मित दिल्ली पुलिस की अस्थायी इमारत का उपयोग पार्किंग के लिए किया जाना चाहिए। वैकल्पिक भूमि दिल्ली पुलिस को आबंटित की जा सकती है।
- ii) चिराग दिल्ली में दि.वि.प्रा. प्लॉट का उपयोग पार्किंग उपलब्ध करने के लिए किया जाना चाहिए।

श्री जयेन्द्र कुमार डबास

i) नांगलोई, पीरागढ़ी, शाहबाद, दौलतपुर, िकराड़ी और रानी खेड़ा में दि.वि.प्रा. की भूमि से अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। खाली पड़ी भूमि की सुरक्षा कूं लिए चारदीवारी का निर्माण करवाया जाना चाहिए। स्कूल, पार्क, डिस्पेंसरी आदि हेतु कुछ भूमि उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सौंप दी जानी चाहिए।

माननीय उपराज्यपाल ने सभी सदस्यों, विशेष आमंत्रितगण और वरिष्ठ अधिकारियों को बैठक में भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया।

बैठक धन्यवाद के साथ समाप्त हुई।